न्यायालय–अवर न्यायाधीश प्रथम, डुमरॉव

स्वत्व वाद सं0 263/2010

प्रदीप कुमार पाण्डेय वगै0.....वादीगण।

बनाम्

सुरेश पाण्डेय वगै0..... .....प्रतिवादीगण।

आदेश

06.07.2023

उभ्य पक्षों की पैरवी है। अभिलेख आज आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया। वादी द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक–24.08.2021 अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 सी0 पी0 सी0 में वादीगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि यह वर्तमान वाद में अर्जी में टाइपिस्ट की गलती से कुछ शब्द टाइप होना छुट गया है, जिसको सुधार करना आवश्यक है। उक्त संशोसन से इस मुकदमा का प्रकृति नहीं बदलता है। वादी के विद्वान अधिवक्ता अनुरोध करते हैं कि न्यायहित में संशोधन करने का आदेश दिया जाये जाये।

प्रतिवादी के तरफ से मौखिक आपत्ति दर्ज किया गया तथा प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि वादीगण का आवेदन कानूनन एवं तथ्य के आधार सही नहीं है, बल्कि खारिज करने योग्य है तथा प्रस्तावित संशोधन से वाद की प्रकृति में परिवर्तन होगा। प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता अनुरोध करते हैं कि उनका आवेदन खर्चा के साथ खारिज किया जाये।

उभय पक्षों को पूर्व में सुना जा चुका है। अभिलेख का अवलोकन किया। यह वाद वर्ष 2010 से लम्बित है, परन्तु वादी द्वारा काफी विलम्ब से यह संशोधन आवेदन दाखिल किया गया है। अगर वादी सावधानी करते तो विलम्ब के बाद आवेदन देने की आवश्यकता नहीं होती। अतः न्यायहित में वादी का आवेदन दिनांक– 24.08.2021 अन्तर्गत आदेश 6 नियम नियम 17 सी0 प0 सी0 को मो0 पांच सौ रूपये के खर्चे पर स्वीकृत किया जाता है। वादी के विद्वान अधिवक्ता को निर्देश दिया जाता है कि खर्चे की अदायगी के पश्चात निश्चित समय के अंदर आवेदन के आलोक में अर्जी में संशोधन करें।

दिनांक– 09.08.2023 वास्ते सुनवाई।

लेखापित

ह0/–
(अखिलेश कुमार पाण्डेय)
सब जज प्रथम, डुमरॉव ।